न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्याः— 23 / 2023
प्रकरण दायर दिनांकः— 07.06.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः— 27.06.2023

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र खैराती
2. रामस्वरूप पुत्र खैराती
3. हजारी पुत्र खैराती
   जाति गुर्जर निवासी चांदनबास तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

" प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट पत्थरगढी किये जाने बाबत"

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 63 पुराना 59 के खसरा नं. 31 रकबा 0.40 हैक्टे., खसरा नं. 32 रकबा 0.50 हैक्टे., खसरा नं. 33 रकबा 0. 01 हैक्टे., खसरा नं. 34 रकबा 0.73 हैक्टे., खसरा नं. 464 / 30 रकबा 0.18 हैक्टे. खसरा नं. 466 / 35 रकबा 6.34 हैक्टे. कुल खसरा नं. 06 कुल रकबा 8.16 हैक्टेयर वाके रामा चांदनबास तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा भूमि उक्त का समय समय पर लगान अदा करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित स्वामित्व व कब्जे काश्त, खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 63 पुराना 59 के खसरा नं. 31, 32, 33, 34, 464 / 30, 466 / 35, 443 / 24 कुल खसरा नं. 08 रकबा 8.16 हैक्टे. वाके रामा चांदनबास तहसील बांदीकुई जिला दौसा का सीमाज्ञान प्रार्थीगण / खातेदारान की उपस्थिति में किया गया और मौके पर पर्चा तैयार कर हस्ताक्षर करवाये गये जो पूर्णतया विवाद विनिश्चय नहीं है एवं भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नं. 31, 32, 33, 34, 464 / 30, 466 / 35, 467 / 35, 443 / 24 कुल किता 8 रकबा 8.16 हैक्टे. में दिनांक 27.05.2023 को किये गये सीमाज्ञान अनुसार भूमि पर पत्थरगढी करवाकर उसमे चिन्हित कायम करवाना चाहते है जो भूमि की सुरक्षा के लिये अति आवश्यक है जिसमे की भविष्य में अन्य खातेदारान से किसी भी प्रकार का उक्त भूमि में सीमाज्ञान को लेकर विवाद न हो सके। प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नं. 31, 32,

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

33, 34, 464/30, 466/35, 443/24 कुल किता 8 रकबा 8.16 हैक्टेयर को सुधार करवाकर भूमि के चारों और मेड बंदी व तारों से फैन्सिंग करवाना चाहते है जिसके लिये उक्त खसरा नं. की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है बिना पत्थरगढी के भविष्य में विवाद होने की संभावना है। अतः भूमि खाता संख्या नया 63 पुराना 59 के खसरा नं. 31 रकबा 040 हैक्टे., खसरा नं. 32 रकबा 0.50 हैक्टे., खसरा नं. 33 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 34 रकबा 0.73 हैक्टे. खसरा नं. 464/30 रकबा 0.18 हैक्टे. खसरा नं. 466/35 रकबा 6.34 हैक्टेयर कुल खसरा 06 कुल रकबा 8.16 हैक्टेयर वाके रामा चांदनवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा की पत्थरगढी मौके पर करवायी जाने का अनुरोध किया।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी विधिवत की गयी। तहसीलदार बांदीकुई व आईएलआर गुढलिया, पटवारी हल्का गादरवाडा गूजरान ने मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपना जवाब/रिपोर्ट दिनांकः 26.06.2023 प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम चांदनबास स्थित आराजी ख.नं. 31, 32, 33, 34, 464/30, 466/35, 467/35, 443/24 कुल किता 8 रकबा 8.16 हैक्टे. भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 27.05.2023 को करवाया जा चुका है उक्त आराजी खसरा नम्बरान के आंशिक भाग पर पडोसी खातेदारान से कब्जे संबंधी विवाद की वजह से वादी स्वयं की खातेदारी भूमि में पत्थरगढी करवाना चाहता है।

हमने बहस वकील प्रार्थीगण को सुना। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया तथा प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांकः 27.05.2023, राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम चांदनबास खाता सं. नया 63 पुराना 59 एवं तहसीलदार बांदीकुई रिपोर्ट दिनांकः26.06.2023 का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी वकील एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर वर्णित भूमि राजस्व जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या नया 63 पुराना 59 के आराजी खसरा नं. 31, 32, 33, 34, 464/30, 466/35 कुल किता 6 रकबा 8.16 हैक्टे. वाके ग्राम चांदनबास तहसील बांदीकुई जिला दौसा प्रार्थीगण की रिकार्डेड खातेदारी भूमि होना एवं वर्णित आराजी का विधिवत सीमाज्ञान होना प्रकट है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थी को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खाता संख्या नया 63 पुराना 59 के खसरा नं. 31 रकबा 0.40 हैक्टे., खसरा नं. 32 रकबा 0.50 हैक्टे., खसरा नं. 33 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 34 रकबा 0.73 हैक्टे. खसरा नं. 464/30 रकबा 0.18 हैक्टे. खसरा नं. 466/35 रकबा 6. 34 हैक्टेयर कुल खसरा 06 कुल रकबा 8.16 हैक्टेयर वाके रामा चांदनवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा का सीमाज्ञान दिनांक 27.05.2023 के अनुसार नियमानुसार विधिक प्रकिया का पालन करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बॉदीकुई को निर्देशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बांदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बांदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता मौके पर उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई/थानाधिकारी बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई